प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 25.01.2026

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 19.01.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 25.01.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1. विशाल पुत्र रवि शंकर निवासी सुभानपुर थाना खेकडा जिला बागपत उम्र करीब 22 वर्ष 2. विजय पुत्र संजय निवासी सुभानपुर थाना खेकडा जिला बागपत उम्र करीब 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि यह मोटरसाइकिल हमारे दोस्त लव निवासी मंडोला ने बेहटा हाजीपुर से चोरी की थी जिसे आज हम दोनों बेचने के लिए जा रहे कि पुलिस चेकिंग में पकडे गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.विशाल पुत्र रवि शंकर निवासी सुभानपुर थाना खेकडा जिला बागपत उम्र करीब 22 वर्ष।

2. विजय पुत्र संजय निवासी सुभानपुर थाना खेकडा जिला बागपत उम्र करीब 21 वर्ष।

वांछित अभियुक्त का नाम व पता–

लव निवासी मंडोला

बरामदगी का विवरण -

कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल व 01 इन्वर्टर की बैटरी बरामद।

दिनांक 24.01.2026 को थाना अंकुर विहार पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी की वह दिनाँक-16/01/26 को वैष्णो देवी यात्रा पर गये थे उसी दौरान अज्ञात चोर द्वारा उनकी मोटरसाइकिल व इन्वर्टर बैट्री चोरी कर लेना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल सुसंगत धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 25.01.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुकों 1.गोपाल शर्मा पुत्र सोहनलाल शर्मा 2.विशाल शर्मा उर्फ सन्नी पुत्र मोहनलाल शर्मा को प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की 01

मोटरसाइकिल व 01 इन्वर्टर की बैटरी बरामद हुई। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण उपरोक्त ने बताया कि हम दोनों ने मिलकर लगभग 06-07 दिन पहले डीएलएफ की एक बिल्डिंग की पार्किंग से यह मोटरसाइकिल व बैटरी चोरी की थी जिसे आज हम बेचने की फिराक में निकले थे कि पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.गोपाल शर्मा पुत्र सोहनलाल शर्मा निवासी ए-145 गली न0-1 कमल विहार सरदार पटेल स्कूल के पास थाना करावल नगर दिल्ली-94 उम्र करीब 36 वर्ष

2.विशाल शर्मा उर्फ सन्नी पुत्र मोहनलाल शर्मा निवासी ए-35 सन्त नगर डीएलएफ थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 35 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

चोरी की 01 मोटरसाइकिल व 01 इन्वर्टर की बैटरी बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त घटना के संबंध में थाना अंकुर विहार पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार/ बरामदगी करने वाली पुलिस टीम- थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 25.01.2026 को थाना खोड़ा पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त करन पुत्र श्यामसुंदर निवासी ऐसंस पब्लिक स्कूल के पास कर्ण विहार खोड़ा कालोनी थाना खोड़ा गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को खोड़ा अण्डरपास से चोरी की 01 स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धारा 317(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ के दौरान बताया कि यह स्कूटी दिल्ली से करीब 12 दिन पहले चोरी की थी। आज इस स्कूटी को लेकर जा रहा था तभी पुलिस की चैकिंग लगी देख कर भय से वापिस पीछे मुड़ कर भाग रहा था इस दौरान पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

- करन पुत्र श्यामसुंदर निवासी ऐसंस पब्लिक स्कूल के पास कर्ण विहार खोड़ा कालोनी थाना खोड़ा गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध दिल्ली एनसीआर व गाजियाबाद में चोरी करने व चोरी का माल बरामद होने के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना खोड़ा पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा व स्मैक की तस्करी करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 04 किलो 200 ग्राम गांजा व 150 ग्राम स्मैक बरामद।

आज दिनांक 25.01.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर गांजा व स्मैक की तस्करी करने वाले 04 अभियुक्तों 1.नरेन्द्र पाल उर्फ टीटू पुत्र तेजपाल निवासी पाल चौक बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद हाल पता बघेल चौक ए-1 मैरिज होम के पीछे बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 39 वर्ष 2. प्रदीप पाल उर्फ मास्टर पुत्र मुकेश पाल निवासी शिव मन्दिर के पीछे बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर जिला गाजियाबाद हाल पता किरायेदार सैनी मैरिज होम के पीछे गली राहुल गार्डन बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 37 वर्ष 3. धर्मेन्द्र पुत्र पूरनचन्द निवासी बेहटा हाजीपुर रेलवे स्टेशन के सामने रतिराम कॉलोनी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष 4.अरमान पुत्र साजिद निवासी आनन्द विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष को थाना क्षेत्र लोनी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 04 किलो 200 ग्राम गांजा व 150 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 8/20/21 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम एक महिला से जिसका नाम व पता हमें मालूम नहीं है हमारी उससे फोन से बात-चीत होती थी तथा एक व्यक्ति गौरी जो जहांगीरपुरी दिल्ली में रहता है, से गांजा और स्मैक लेते हैं तथा ज्यादा पैसे कमाने के लिए स्मैक व गांजे की छोटी-छोटी पुड़िया बनाकर बेहटा हाजीपुर रेलवे स्टेशन के आस-पास रेलवे लाइन पर आने-जाने वाले लोगों को बेचने के लिए अरमान को देते हैं। ये गांजा और स्मैक की पुड़िया हमने बेचने के लिए पैक करके रखे थे कि पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1.नरेन्द्र पाल उर्फ टीटू पुत्र तेजपाल निवासी पाल चौक बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद हाल पता बघेल चौक ए-1 मैरिज होम के पीछे बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 39 वर्ष।

2. प्रदीप पाल उर्फ मास्टर पुत्र मुकेश पाल निवासी शिव मन्दिर के पीछे बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर जिला गाजियाबाद हाल पता किरायेदार सैनी मैरिज होम के पीछे गली राहुल गार्डन बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 37 वर्ष।

3. धर्मेन्द्र पुत्र पूरनचन्द निवासी बेहटा हाजीपुर रेलवे स्टेशन के सामने रतिराम कॉलोनी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष।

4.अरमान पुत्र साजिद निवासी आनन्द विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 18 वर्ष।

वांछित अभियुक्तगण का विवरण-

1.एक महिला नाम व पता अज्ञात।

2.गौरी पुत्र अज्ञात निवासी जहांगीरपुरी दिल्ली।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 04 किलो 200 ग्राम गांजा व 150 ग्राम स्मैक बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त नरेन्द्र उर्फ टीटू व अरमान उपरोक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर पूर्व से एनडीपीएस एक्ट का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करनेवाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा संतोष हॉस्पिटल से एक रिफ्रेक्टोमीटर मशीन चोरी करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया , निशानदेही पर चोरी की एक रिफ्रेक्टोमीटर मशीन बरामद।

दिनांक 25.01.2026 को थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा पुराना बस अड्डा के पास स्थित संतोष हॉस्पिटल से रिफ्रेक्टोमीटर मशीन चोरी के प्रकरण में 01 अभियुक्त योगेश मित्तल की गिरफ्तारी की गई है। अभियुक्त की निशानदेही पर उक्त चोरी गयी मशीन रिफ्रेक्टोमीटर को बरामद किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं अस्पतालों के लिये कम्पनियों से मशीन खरीदने की कमीशन पर डीलिंग कराता हूँ। जिस कारण मेरा अस्पतालों में आना जाना लगा रहता है। दिनांक 21.01.2026 की सुबह मैं पुराना बस अड्डा स्थित सन्तोष हॉस्पिटल में गया था। जहाँ मैने नेत्र सर्जन विभाग में एक ऑटो रिफ्रेक्टोमीटर, आँखों की जाँच करने वाली मशीन, रखी देखी। जिसे मैं मौका देखते हुए अस्पताल से चोरी कर उठा ले गया था। उक्त प्रकरण में थाना सिहानीगेट पर अभियोग अन्तर्गत धारा 305(ए), 317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

बरामदगी का विवरण-

1.एक रिफ्रेक्टोमीटर मशीन

नाम पता अभियुक्त-

1. योगेश मित्तल, उम्र करीब 54 वर्ष पुत्र स्व0 लक्ष्मण प्रसाद मित्तल नि0 डी 180/ ए 3 श्याम पार्क एक्सटेंशन थाना साहिबाबाद कमि0 गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के पूर्व में थाना कौशाम्बी पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली टीम-

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम